न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैंनवां, जिला बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सीमा सान्दू, आर.जे.एस.

फौजदारी नियमित प्रकरण सं. : 557/2019

सी0 आई0 एस0 नंबर : 557/2019

राजस्थान राज्य ..... अभियोगी

विरूद्ध

छगनलाल पुत्र मांगीलाल, निवासी दुगारी, थाना नैनवां, जिला बूंदी, (राज0)

..... अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा –498ए, 406 आईपीसी

उपस्थितः–

(1) सहायक अभियोजन अधिकारी – उपस्थित।

(2) श्री दिनेश कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता – अभियुक्त की ओर से।

अपराध की दिनांक	–
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	14.06.2019
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	10.10.2019
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	14.10.2019
अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	09.09.2020
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	16.07.2026
निर्णय दिनांक	17.07.2026

निर्णय **दिनांक 17.07.2026**

1– यह प्रकरण थानाधिकारी पुलिस थाना नैनवां जिला बूंदी की ओर से अभियुक्त छगनलाल के विरुद्ध **498ए व 406 आईपीसी** के अधीन प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर इस न्यायालय में संस्थित किया गया।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.05.2019 को सन्जू द्वारा एक परिवाद न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि परिवादिया का विवाह दिनांक 11.05.2011 को ग्राम दुगारी में हिन्दू रीति–रिवाज से अभियुक्त क्रमांक–1 के साथ सम्पन्न हुआ था तथा विवाह के समय पर्याप्त दहेज एवं स्त्रीधन दिया गया था। विवाह के पश्चात अभियुक्तगण द्वारा कम दहेज का ताना देते हुए परिवादिया के साथ

मारपीट एवं क्रूरता का व्यवहार किया जाने लगा तथा उससे 2,00,000/– नकद एवं एक मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी। वर्ष 2015 में अभियुक्त क्रमांक–1 उसको जयपुर ले गया, जहाँ उससे मजदूरी कराकर उसकी मजदूरी की राशि छीन लेता था तथा शराब एवं नशीले पदार्थों के सेवन के बाद उसके साथ मारपीट करता था। इसी दौरान परिवादिया के गर्भवती होने पर अभियुक्त क्रमांक–1 ने कथित रूप से धोखे से गर्भपात की गोलियां खिलाकर उसका लगभग दो माह का गर्भपात करा दिया तथा उसके बैंक खाते से चैक पर फर्जी हस्ताक्षर कर 51,000/– भी निकाल लिए। इसके बाद वर्ष 2017 में पुनः गर्भवती होने पर अभियुक्तगण ने बच्चे को जन्म न लेने देने की बात कहते हुए परिवादिया की इच्छा के विरुद्ध जबरन गोलियां खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया तथा दिनांक 17.12.2017 को उसे उसके पीहर नैनवाँ छोड़ते हुए पुनः 2,00,000/– नकद एवं मोटरसाइकिल लाने की मांग की। इसके उपरांत भी अभियुक्तगण लगातार उसे छोड़ने, दूसरी शादी करने तथा फोन पर धमकियाँ देने लगे। परिवादिया द्वारा अपना स्त्रीधन वापस माँगने पर भी अभियुक्तगण ने उसे लौटाने से इंकार कर दिया तथा समझाइश के सभी प्रयास विफल रहे। परिवादिया एवं उसके परिजनों द्वारा समझाने का प्रयास करने पर भी अभियुक्तगण ने उनके साथ दुर्व्यवहार एवं अपमानजनक व्यवहार किया। अंततः परिवादिया द्वारा थाना नैनवाँ में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया गया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने पर उसने न्यायालय के समक्ष इस्तगासा प्रस्तुत किया, इत्यादि। उक्त परिवाद को पुलिस थाना नैनवां को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत भेजा गया, जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना नैनवां, बूंदी की ओर से प्रकरण संख्या 189/2019 अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 313, 314, 315, 316, 420, 467 भा.दं.सं. के तहत दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया और बाद अनुसंधान उपरोक्तानुसार आरोप पत्र पेश न्यायालय में पेश किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर बाद अवलोकन अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

3– बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में निम्न गवाह एवं दस्तावेजी साक्ष्य परीक्षित करवाये गये–

अभियोजन साक्षीगण

क्रम संख्या	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद, पुलिस विशेषज्ञ, चिकित्सीय, पंच एवं अन्य)
पी.डब्ल्यू. 01	ओमप्रकाश	ताईद घटना व बयान 161 जा.फो.
पी.डब्ल्यू. 02	किसकन्दा	ताईद बयान 161 जा.फो. व फर्द सिपुर्दगी अस्थाई दहेज सामान
पी.डब्ल्यू. 03	संजू बाई	परिवादिया / ताईद बयान 161 जा.फो.
पी.डब्ल्यू. 04	सोराज	ताईद फर्द जप्ती व सपुर्दगी अस्थाई दहेज सामान
पी.डब्ल्यू. 05	मोडुलाल	ताईद बयान 161 जा.फो. व फर्द सिपुर्दगी अस्थाई दहेज सामान
पी.डब्ल्यू. 06	मदनलाल	ताईद फर्द सपुर्दगी अस्थाई दहेज सामान
पी.डब्ल्यू. 07	लखनलाल	अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन प्रदर्श :–

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद, पुलिस विशेषज्ञ, चिकित्सीय, पंच एवं अन्य)
1	प्रदर्श पी– 1	परिवाद
2	प्रदर्श पी– 2	फर्द जप्ती एवं अस्थायी सुपुर्दगी स्त्रीधन
3	प्रदर्श पी–3	चाक एफआईआर

5– दिनांक 14.07.2026 को परिवादिया व अभियुक्त ने धारा 406 भा.दं.सं. के आरोप में राजीनामा पेश करने की अनुमति प्रदान करने बाबत प्रार्थना पत्र, साथ ही पक्षकारान ने धारा 406 भा.दं.सं. के आरोप में राजीनामा पृथक से पेश किया जिस पर उभयपक्ष ने स्वेच्छया राजीनामा करना जाहिर किया। राजीनामा पक्षकारों को पढकर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। धारा 406 भा.दं.सं. का आरोप काबिल राजीनामा योग्य होने से बाद सुनवाई न्यायहित में पृथक से तस्दीक किया जाकर अभियुक्त को धारा 406 भा.दं.सं. के आरोप से बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है। न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए भा.दं.सं. का विचारण शेष रहा है।

6– तत्पश्चात् अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना एवं साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

7– बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित है इसलिए अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा से दण्डित करने का निवेदन किया। वहीं दूसरी ओर अभियुक्त के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से कथन किया कि अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं आई है, जिससे उसे दोषसिद्ध किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो गया है तथा गवाहान् की साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास हैं। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8– उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस किए गये तर्कों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया एवं संबंधित विधि का गहनता से अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

9– प्रकरण में शेष धारा 498ए भा.दं.सं. के संबंध में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.05.2019 को परिवादिया श्रीमती संजू द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व एवं परिवादिया से दिनांक 11.05.2011 को विवाह होने के पश्चात् समय–समय पर परिवादिया का पति होते हुए अपने घर पर मोटरसाईकिल की मांग को लेकर, उसका गर्भ गिराकर व उसके साथ शारीरिक व मानसिक क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?"

"यदि हॉ, तो अभियुक्त के लिये उचित दण्ड क्या होगा?"

10– प्रकरण के विचारणीय बिन्दू के संबंध में न्यायालय का विवेचन निम्नानुसार हैः–

11– गवाह पी.ड.–3 संजू बाई, जो कि प्रकरण की परिवादिया है, ने न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण के दौरान कथन किया है कि उसकी शादी 11.05.2011 को छगनलाल निवासी दुगारी के साथ हुई थी तथा वर्ष 2015 से वह ससुराल रहने लगी और 2015 में उसका पति उसे जयपुर लेकर गया जहां उसके पति का जीजा चाय की होटल लगाता था। उसका पति उसे भी चाय की दुकान पर ले जाने लगा और बर्तन धुलवाता था। जब वह गर्भवती हो गई तो उसके पति ने कहा तू बच्चा गिरने की गोली खा नहीं तो तुझे नहीं रखूंगा। अभियुक्त उसे कहता था कि तेरे घरवालों से गाड़ी लेकर आ तभी तेरे को गर्भवती होने दूंगा, जिसके पश्चात उसके पिता ने अभियुक्त को मोटरसाईकिल दे दी थी। जब वह

2016–17 में दौबारा गर्भवती हुई तो वह वापिस दुगारी आ गयी, जहां उसके पति ने उसे कहा कि वह उसे नहीं रखेगा। उसके पश्चात अभियुक्त ने उसे मोटी होने की गोली बताकर गोली खिला दी, जिससे उसका गर्भ गिर गया। गवाह ने आगे कथन किया है कि वर्ष 2017 से वह अपने पीहर में रह रही है। गवाह ने परिवाद प्रदर्श पी–1 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि वर्ष 2012 में छगनलाल के माता–पिता की मृत्यु होने पर वह 12 दिन पूर्ण करके वापस आ गई थी। गवाह ने आगे कथन किया है कि उसने जयपुर से आने के करीब दो साल बाद मुकदमा किया था। गवाह ने स्वीकार किया है कि वर्ष 2017 से 2019 के बीच उसके व छगनलाल व उसके परिवार वालों के साथ कोई बातचित नहीं हुई थी। गवाह ने स्वीकार किया है कि उसका नाता विवाह हो चुका है। आगे गवाह ने कथन किया है कि जयपुर में वह और अभियुक्त दोनों ही चाय की दूकान लगाते थे। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसका पति छगनलाल नशा करता था और इसी बात को लेकर उसने मुकदमा किया था, इसके अलावा तलाक की वजह से भी उसने मुकदमा किया था। गवाह ने आगे कथन किया है कि उसे ले जाने के लिये पंचायत कभी नहीं बैठी अभियुक्त स्वयं उसे ले जाने आया था। गवाह ने स्वीकार किया है कि मुल्जिम छगनलाल यदि जेवर छोड़ दे तो उनका आज ही राजीनामा हो जाये। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने मुल्जिम छगनलाल से छुटकारा पाने के लिये यह मुकदमा दर्ज कराया है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त से तलाक चाहती है और यदि अभियुक्त उसे तलाक दे दे तो वह प्रकरण को आज ही वापस ले लेगी।

12– गवाह पी.ड–2 किसकन्दा जो कि परिवादिया की माता है, उसने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी की ताईद करते हुए कथन किए हैं कि उसकी लड़की संजू की शादी अभियुक्त छगनलाल निवासी दुगारी के साथ की थी। शादी के पांच साल बाद संजू का पति उसे लेने आया तो उन्होंने परिवादिया को उसके साथ भेज दिया, लेकिन अभियुक्त उसे घर नहीं लेकर गया और जयपुर ले गया, जहां उसकी संजू से चाय की होटल लगवायी थी। संजू से उसका पति मोटरसाइकिल की मांग करता था, तो उनके पास मोटरसाईकिल थी जो उन्होंने अभियुक्त को दे दी। गवाह ने आगे कथन किया है कि छगनलाल उससे दो लाख रूपये व मोटरसाइकिल की मांग करता था। उसकी बच्ची के इक्ट्ठे किये हुए साठ हजार रूपये भी उसके पति ने निकलवा लिये। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि शादी के बाद छगनलाल संजू को सीधा जयपुर ले गया, दुगारी नहीं लेकर गया था। गवाह ने आगे कथन किया है

कि जयपुर दोनों आराम से ही रहते थे, इतने दिन तक तो संजू ने उसे कुछ भी नहीं कहा तथा अभी उसने संजू को नाते बिठा दिया है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने मुकदमा इसलिये किया था ताकि छगनलाल से छुटकारा पाया जाये। गवाह ने संजू को कितने साले पहले लेकर आने के तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है। गवाह ने आगे जाहिर किया है कि संजू को लाने के दो–तीन साल बाद मुकदमा दर्ज कराया था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री, उसे आज दिन तक भी कोई जानकारी नहीं देती।

13– गवाह पी.ड. 01 ओमप्रकाश जो कि परिवादिया का जीजा है, ने न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण के दौरान परिवादिया का विवाह अभियुक्त से होने के तथ्य की ताईद करते हुए कथन किया है कि छगनलाल उसकी साली संजू के साथ मारपीट करता था और उसके बच्चा बच्ची पैदा नहीं होने देता था तथा उससे दो लाख रूपये व मोटरसाइकिल की मांग करता था। गवाह ने आगे कथन किया है कि अभी संजू को अन्यंत्र नाते बिठा दिया है। करीब पांच साल पहले संजू को उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया था। बाद में संजू ने पति के साथ जाने से मना कर दिया क्योंकि उसका पति छगनलाल उसे परेशान करता था।

14– गवाह पी.ड. 05 मोडुलाल ने न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण के दौरान कथन किया है कि कालूलाल ने अपनी पुत्री संजू की शादी छगनलाल माली निवासी दुगारी के साथ की थी। 4–5 साल तक संजू के साथ उसके पति व ससुराल वालों का व्यवहार ठीक रहा किंतु बाद में छगनलाल, संजू के साथ मारपीट करने लगा। छगनलाल संजू से दो लाख रूपये व मोटरसाइकिल की मांग करता था। गवाह ने आगे कथन किया है कि जब वह व परिवादिया का जीजा ओमप्रकाश, दुगारी छगनलाल को समझाने गये तो उसने दो लाख रूपये व मोटरसाइकिल देने पर ही संजू को रखने की बात कही थी, जिसके थोड़े दिन बाद संजू को उसके पति ने निकाल दिया था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने कभी मारपीट नहीं हुई, ना ही वे देखने जाते थे। उसके सामने संजू के ससुराल वालों ने पैसे नहीं मांगे थे ना ही कभी दो लाख रूपये व मोटरसाइकिल की मांग की। गवाह ने आगे जाहिर किया है कि वह दूसरों के कहने से यह बात कह रहा है तथा पक्षकारान में किस मामले में बिगाड़ हुआ उसे इसकी जानकारी नहीं है।

15– गवाह पी.ड. 04 सोराज व पी.डब्लू–6 मदनलाल प्रकरण में औपचारिक साक्षी

है, जिनके द्वारा न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण के दौरान पुलिस वालों द्वारा उनके समक्ष फर्द जप्ती/सुपुर्दगी प्रदर्श पी–2 मुर्तिब किये जाने का कथन किया है।

16– अनुसंधान अधिकारी लखनलाल पी.डब्लू–7 ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं के द्वारा किये गये अनुसंधान के तथ्यों की पुनरावृति करते हुए दौराने अनुसंधान प्रकरण में गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये जाने तथा प्रकरण में मुर्तिब फर्दात पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होने तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने की साक्ष्य दी है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि इस्तगासे से पूर्व फरियादिया ने थाने पर कोई रिपोर्ट पेश नहीं की थी। गवाह ने आगे जाहिर किया है कि उसके द्वारा जप्त दहेज सामान को, किसे सुपुर्द किया गया, इसकी उसे जानकारी नहीं है। गवाह ने आगे जाहिर किया है कि स्वतंत्र गवाहान ने पति–पत्नी के बीच झगड़ा होना बताया था, लेकिन गर्भापात के संबंध में कोई बात नहीं बताई। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि स्वतंत्र गवाहान ने अपने बयानों में परिवादिया को परेशान करने एवं दहेज की मांग जैसी बातों से इंकार किया था।

17– अभियोजन साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादिया की एफ.आई.आर. एवं न्यायालय में दी गई गवाही में महत्वपूर्ण विरोधाभास विद्यमान हैं। परिवादिया ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसके पिता द्वारा अभियुक्त को मोटरसाइकिल दे दी गई थी, जयपुर से आने के लगभग दो वर्ष बाद मुकदमा दर्ज कराया, वर्ष 2017 से 2019 के मध्य अभियुक्त पक्ष से कोई बातचीत नहीं हुई तथा उसने अभियुक्त से छुटकारा पाने एवं तलाक प्राप्त करने के उद्देश्य से मुकदमा दर्ज कराया है। पीडब्ल्यू–2 किसकन्दा ने भी स्वीकार किया कि जयपुर में पति–पत्नी आराम से रहते थे तथा मुकदमा अभियुक्त से छुटकारा पाने के लिए किया गया था। पीडब्ल्यू–5 मोडूलाल ने स्वीकार किया कि उसके समक्ष कभी दहेज की मांग अथवा मारपीट नहीं हुई तथा वह दूसरों के कहने पर कथन कर रहा है। अनुसंधान अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि स्वतंत्र गवाहों ने दहेज मांग, प्रताड़ना एवं गर्भपात के आरोपों का समर्थन नहीं किया। इसके अतिरिक्त एफ.आई.आर. में लगाए गए जबरन गर्भपात, बैंक खाते से राशि निकालने जैसे गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहों की समग्र साक्ष्य के मूल्यांकन से अभियुक्त द्वारा परिवादिया को दहेज की मांग को लेकर, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने का तथ्य साबित

नहीं होता है तथा स्वयं परिवादिया के न्यायालय में किये गये अभिकथनों से यह प्रकट होता है कि परिवादिया द्वारा अभियुक्त से तलाक प्राप्त करने के उद्देश्य से अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत मुकदमा पंजीबद्ध कराया गया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए भा.दं.सं. का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, जिसके चलते अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

18– अतः अभियुक्त **छगनलाल पुत्र मांगीलाल, निवासी दुगारी, थाना नैनवां, जिला बूंदी, (राज0)** को अपराध अंतर्गत धारा 498ए भा.दं.सं. के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। जबकि अभियुक्त को धारा 406 भा.दं.सं. में राजीनामे के आधार पर पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है।

19– अभियुक्त की ओर से न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं तथा अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में धारा 437ए दं.प्र. सं. के 10–10 हजार के जमानत मुचलके पेश करे जो आगामी छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

(सीमा सान्दू)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नैनवां, बूंदी (राजस्थान)

20– निर्णय आज दिनांक 17.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा सान्दू)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नैनवां, बूंदी (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.30 10:31:21 IST